

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), -4, राज्य कर, रुड़की द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), -4, राज्य कर, रुड़की के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री डी.के. श्रीवास्तव एवं अरविन्द कुमार उपाध्याय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा श्री आनन्द कुमार पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 05.03.2021 से 16.03.2021 तक श्री शशिकांत पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मक: इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रमेश केशरी एवं श्री अनूप कुमार गुप्ता. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा श्री सलीम खान, वरि. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19.02.2020 से 28.02.2020 तक श्री हिमांशु मणि, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक तथा व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:** ट्रेडर्स एवं संविदाकार क्षेत्र रोड, तपोवन, घाट रोड।

(ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत तीन वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

(₹ लाख में)

वर्ष	अर्जित राजस्व
2017-18	1607.30
2018-19	1143.90
2019-20	1403.83

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत

रु०:

(रु लाख में)

वर्ष	Plan		Non plan		अधिक्य (+)	बचत (-)
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
लागू नहीं						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष रु	प्राप्त रु	व्यय अधिक्य (+)रु	बचत (-)रु
लागू नहीं					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई "A" श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, वित्त > आयुक्त कर, वाणिज्य कर> ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर> डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर> सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर> वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), -4, राज्य कर, रुड़की को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), -4, राज्य कर, रुड़की की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

राजस्व: E Payment के कारण DCR नहीं बनाया गया है। विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ----- (व्यय) को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व का लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 01 : कर के अनारोपण/न्यूनरोपण एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 2.27 लाख।

प्रस्तर- 02 : अर्थदंड एवं कर के अनारोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति ₹ 2.24 लाख।

प्रस्तर- 03 : केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 धारा 10-A के अंतर्गत अर्थदण्ड का अनारोपण
`2.81 लाख।

प्रस्तर- 04 : समाधान योजना का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने एवं कर/अर्थदण्ड के अनारोपण
के कारण राजस्व क्षति ` 0.79 लाख।

प्रस्तर- 05 : कर के अनारोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति रु 0.30 लाख ।

प्रस्तर- 06 : देय कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.24 लाख।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग 2 ब

प्रस्तर-01 : कर के अनारोपण/न्यूनरोपण एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 2.27 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार किसी व्यौवहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा। उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012 से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है। पुनः, यदि किसी व्यापारी ने आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत की है, तो उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (v) के अंतर्गत दस हजार रुपये या अंतर्ग्रस्त कर की धनराशि, जो भी अधिक हो, से अनधिक धनराशि अर्थदण्ड के रूप में आरोपणीय है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड - 4, राज्य कर, रुड़की के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि (i) व्यापारी सर्वश्री फार्मा फोइल्स पैक, टिन: 05014117987, द्वारा संगत वर्ष में प्रिंटिंग रोलर की कुल ` 15,91,099/- की आयातित खरीद की गई थी एवं ` 1423816/- की प्रांतीय बिक्री 5% की दर से घोषित की गई थी। एल्युमिनियम फाईल्स का अंतिम रहतिया ` 15875763/- दर्शाया गया था जिसे अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत आवेदन के पश्चात संशोधित करते ` 744945/- किया गया था जो कि एल्युमिनियम फोइल्स का था। अतः, प्रिंटिंग रोलर का अंतिम रहतिया शून्य था। इस प्रकार, प्रिंटिंग रोलर की कम दर्शाई गई बिक्री ` 167283/- (` 15,91,099 - 1423816) पर 13.5% की दर से ` 22583/- का कर आरोपणीय है एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है। इसके अतिरिक्त, आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करने की कारण, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (v) के अंतर्गत ` 22583/- का अर्थदण्ड भी देय है।

पुनः, प्रिंटिंग रोलर, अधिनियम की किसी भी अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, इसकी बिक्री पर 13.5% की दर से कर आरोपित किया जाना चाहिए था। अतः प्रिंटिंग रोलर की `1423816/- की प्रांतीय बिक्री पर अंतरीय दर 8.5% (13.5 - 5) से ` 121024/- का कर आरोपणीय है एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है। इसके अतिरिक्त, आवर्त की विशिष्टियाँ छिपाने के

कारण, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (vi) के अंतर्गत ` 60512/- (अंतर्ग्रस्त कर की राशि ` 121024/- का 50%) का अर्थदण्ड भी देय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरांत कार्यवाही कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

अतः, कर के अनारोपण/न्यूनरोपण ` 143607/- (22583 + 121024) एवं अर्थदण्ड ` 83095/- (22583 + 60512) अनारोपण के कारण ` 226702/- (143607 + 83095) की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर- 02 : अर्थदंड एवं कर के अनारोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति ₹ 2.24 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार किसी व्योहरी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा। पुनः उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012 से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय सहायक आयुक्त खंड 4 राज्य कर रुइकी के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा मे पाया गया की सर्व श्री द वेस्टर्न प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेंट्स एम्पोरिउम रुइकी (टिन 05004181307 कर निर्धारण वर्ष 2015-16) का व्यापार ड्राइंग सर्वे इन्स्ट्रूमेंट एवं लाइफ जैकेट की खरीद व बिक्री का है। संगत वर्ष मे कुल खरीद ₹ 9321046.00 की दर्शाई गयी जिसमे ₹ 870747.00 का सर्वे इन्स्ट्रूमेंट्स एंड बोट्स की प्रांतीय खरीद (5%), ₹1626165.00 का लाइफ बोज एंड लाइफ जैकेट की प्रांतीय खरीद (13.5%), ₹704688 का लकड़ी (पैकिंग माइटेरियाल)की प्रांतीय खरीद, फार्म 11 के सापेक्ष ₹ 383524 की प्रांतीय खरीद, अपंजीकृत व्यापारियों से ₹ 797638.00 की खरीद, फार्म 16 के सापेक्ष ₹4699346 की आयातित खरीद, फार्म 16 के बिना ₹ 238938 की आयातित खरीद दर्शाई गयी। उक्त खरीद के विरुद्ध कुल बिक्री ₹ 11757535 की दर्शाई गयी। जिसमे ड्राइंग सर्वे इन्स्ट्रूमेंट्स एंड बोट्स की प्रांतीय बिक्री ₹ 2865300, सर्वे इन्स्ट्रूमेंट्स की केंद्रीय बिक्री फार्म सी से आच्छादित ₹ 2323286 (2%), ड्राइंग सर्वे इन्स्ट्रूमेंट्स एंड बोट्स की सामान्य केंद्रीय बिक्री ₹ 6121053 (5%), लाइफ बोज एंड लाइफ जैकेट की सामान्य केंद्रीय बिक्री ₹ 22896(13.5%), लाइफ बोज एंड लाइफ जैकेट की सामान्य केंद्रीय बिक्रीका डाइरेक्ट एक्सपोर्ट ₹ 425000 (0%) दर्शाई गयी।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों की जांच में पाया गया की व्यापारी ट्रेडर (कर निर्धारण आदेशानुसार) था, अतः फार्म 11 का प्रयोग कर रियायती दर की खरीद पर नियमानुसार अर्थदंड ₹ 7670/- (383524@2%) आरोपणीय है। पुनः व्यापारी द्वारा mechanised बोट्स/पेट्रोल इंजिन की खरीद की गयी अतः व्यापारी द्वारा mechanised बोट्स की बिक्री की गयी जिस पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय है (mechanised बोट्स की बिक्री की धनराशि अलग से प्रदर्शित नहीं किए जाने के कारण कुल आरोपणीय कर की धनराशि की विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित है)। पुनः 13.5% की दर से कुल प्रांतीय खरीद ₹1626165 की है। इसके अलावा 13.5%की दर आयतित खरीद भी है। उक्त खरीद के विरुद्ध कुल बिक्री ₹ 13.5% की दर ₹ 22896 की दर्शाई गयी है। न्यूनतम शेष खरीद ₹1603269.00 (1626165-22896) को बिक्री मानते हुए 13.5% की दर कर ₹216441.00 आरोपणीय है।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया की जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी।

अतः प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

**प्रस्तर- 03 : केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 धारा 10-A के अंतर्गत अर्थदण्ड का अनारोपण
`2.81 लाख।**

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 10-A सपठित 10 (b) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी होते हुए किसी वर्ग का माल क्रय करते समय यह मिथ्या (falsely) जाहिर करेगा कि माल का ऐसा वर्ग उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अंतर्गत है तो वह प्राधिकारी जिसने इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र, यथास्थिति, उसे अनुदत्त किया था या उसे अनुदत्त करने के लिए सक्षम हो, सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात लिखित आदेश द्वारा शास्ति के रूप में उतनी राशि उस पर अधिरोपित कर सकेगा, जितनी उस कर के डेढ़ गुने से अधिक न हो, जो उस माल के उसको किए गए विक्रय के बाबत धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन उस दशा में उद्गीहित किया जाता, यदि विक्रय उस उपधारा के अंतर्गत आने वाला विक्रय होता।

कार्यालय सहायक आयुक्त खंड 4 राज्य कर रुड़की के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा मे पाया गया कि सर्वश्री नितिन ट्रेडिंग कंपनी रुड़की (टिन 05011203719, कर निर्धारण वर्ष 2015-16) के कर निर्धारण आदेशानुसार व्यापार मेडिसिन एवं कास्मेटिक्स गुड्स की खरीद बिक्री का था। संगत वर्ष मे व्यापारी द्वारा कुल खरीद ₹ 1824827.00 की दर्शाई गयी जिसमे ₹ 438630.00 की खरीद 13.5% की दर से प्रांतीय दर्शाई गयी और ₹ 1316499/- (Q:183036, Q2:232164, Q3:209443, Q4:691856) की काँस्मेटिक गुड्स, सलून फर्नीचर की आयातित खरीद कनशेन्ल रेट 2% की दर से दर्शाई गयी। कर निर्धारण पत्रावली एवं गोपनीय पत्रावली की जांच मे पाया गया कि संगत वर्ष मे व्यापारी केलव इलेक्ट्रोनिक गुड्स, साइंटिफिक गुड्स केमिकल्स, स्वायल टेस्टिंग इकुइपमेंट स्टेशनरी, एडुकेशन गुड्स की केंद्रीय खरीद हेतु अधिकृत था। उक्त खरीद रियायती दर पर फार्म सी की विरुद्ध घोषित की गई थी। अतः नियमानुसार उक्त खरीद पर अर्थदंड ₹ 266591/- (1316499 के 13.5% का डेढ़ गुना) आरोपणीय था।

लेखा परीक्षा मे इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया की जाँचोपरांत कार्यवाही की जाएगी ।

अतः प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों की संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर- 04 : समाधान योजना का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने एवं कर/अर्थदण्ड के अनारोपण के कारण राजस्व क्षति ` 0.79 लाख।

उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के उपबंधों के, अनुसार इस विकल्प को अपनाने वाले व्यापारी, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जैसी की विहित की जाय, के अधीन रहते हुए, वे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर के बदले में ऐसे बिक्रय के सम्पूर्ण आवर्त पर, 1 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करेंगे। पुनः, उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर नियमावली 2005 के नियम 11 के उप नियम (2) के अनुसार प्रत्येक ब्यौहारी, जो अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कर का भुगतान करना चाहता है, कर निर्धारक प्राधिकारी को एक प्रार्थना पत्र प्रारूप 22 में निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ होने के 45 दिन के भीतर दाखिल करेगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड- 4, राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी **सर्वश्री नीलम ओपटिकल्स, रुड़की**, टिन: 05004305855, द्वारा संगत वर्ष 2016-17 हेतु अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत 1 प्रतिशत की दर से कर देयता का विकल्प, कर निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ होने के 45 दिन के भीतर अर्थात् दिनांक 15.05.2016 तक जमा न करके, कार्यालय रसीद संख्या 16180 द्वारा दिनांक 18.05.2016 को दाखिल किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र समयांतर्गत न होने के कारण, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाना नियमानुकूल नहीं था। अतः, उक्त व्यापारी, अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार कर के भुगतान के लिए दायी होगा।

संगत वर्ष 2016-17 में उक्त व्यापारी द्वारा कुल ` 10,49,585/- की प्रांतीय बिक्री घोषित की गई थी एवं उक्त बिक्री पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 1 प्रतिशत की दर से ` 10,498/- का कर आरोपित किया गया था जबकि उक्त व्यापारी के समाधान योजना के विकल्प हेतु दाखिल प्रार्थना पत्र के समयांतर्गत न होने के कारण न्यूनतम 4 प्रतिशत (5% - 1%) की अंतरीय दर से ` 41,983/- का कर आरोपणीय है।

पुनः, कर निर्धारण आदेश के अनुसार संगत वर्ष 2016-17 में उक्त व्यापारी द्वारा आरंभिक रहतिया ` 605700/-, खरीद 570353/-, बिक्री ` 1049585/- एवं अंतिम रहतिया ` 170190/- घोषित किया गया था। पत्रावली में उपलब्ध व्यापार खाता के अनुसार संगत वर्ष में सकल लाभ ` 418532/- का है। उक्त व्यापारिक स्थिति के अनुसार संगत वर्ष में व्यापारी की कुल बिक्री ` 1424395/- (605700 + 570353 + 418532 - 170190) की होनी चाहिए थी जबकि बिक्री मात्र ` 10,49,585/- की घोषित की गई थी। अतः, कम प्रदर्शित बिक्री ` 374810/- (1424395 - 10,49,585) पर 5% की दर से न्यूनतम 18741/- कर आरोपणीय है एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है। इसके अतिरिक्त, आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करने के कारण, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (v) के अंतर्गत ` 18741/- का अर्थदण्ड भी देय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरांत कार्यवाही कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

अतः, समाधान योजना का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने एवं कर के अनारोपण के कारण ` 60724/- (41,983 + 18741) एवं ` 18741/- के अर्थदण्ड के अनारोपण के कारण कुल ` 79465/- (60724 + 18741) की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर- 05 : कर के अनारोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति रु 0.30 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार किसी व्योहरी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा। पुनः, उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012 से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड - 4, राज्य कर, रुड़की के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यापारी सर्वश्री सविता द्वारा ₹ 223550/- की मशीनरी का आयात किया गया था परंतु उक्त मशीनरी को बैलेन्स शीट में लिए जाने का कोई साक्ष्य विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः उक्त मशीनरी की खरीद पर न्यूनतम 13.5% की दर से ₹ 30179/- का कर आरोपणीय है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उक्त के संबंध में, लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरांत कार्यवाही कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

अतः, कर के अनारोपण के फलस्वरूप ₹ 30179/- की राजस्व क्षति का प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर- 06 : देय कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.24 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम-11 में दिनांक 26.03.2014 से यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वर्ष में सकल आवर्त ` 50 लाख से अधिक है, उसे अगले माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है एवं जिसका सकल आवर्त ` 50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के प्रथम माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत यदि किसी व्यापारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया है तो वह अर्थदण्ड के रूप में, यदि विलंब 01 माह तक हो तो देय कर का 5%, यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर ₹20 हजार रुपए तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10% एवं अधिक से अधिक 20% और यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रुपए 20 हजार रुपए से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20% एवं अधिक से अधिक 30% का दायी होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड - 4, राज्य कर, रुड़की के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री शिवा पेपर प्रोडक्ट्स, रुड़की, टिन- 05006504942, द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि ` **323181/-** को विलंब से जमा किया गया था। अतः विलम्ब से जमा कर की राशि पर उपरोक्त वर्णित अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार न्यूनतम ` **24,424/-** का अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया। (विवरण संलग्न)।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरांत कार्यवाही कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

अतः, देय कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड के अनारोपण के कारण ` **24,424/-** की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्रम सं	व्यापारी का नाम (सर्वश्री)	TIN सं	कर निर्धारण वर्ष	माह/त्रैमास	कर जमा करने की देय तिथि	कर जमा करने की तिथि	विलंब अवधि (दिन)	कर की राशि	अर्थदण्ड की दर (%)	आरोपणीय अर्थदण्ड की राशि
1	शिवा पेपर प्रोडक्ट्स	05006504942	2015-16	Apr-15	20-May-15	05-Jun-15	16	60918.00	5.00	3046
				May-15	20-Jun-15	09-Jul-15	19	83243.00	5.00	4162
				Jun-15	20-Jul-15	27-Jul-15	7	43000.00	5.00	2150
				Sep-15	20-Oct-15	16-Jan-16	88	55100.00	20.00	11020
				Oct-15	20-Nov-15	16-Dec-15	26	20000.00	5.00	1000
				Dec-15	20-Jan-16	30-Jan-16	10	12000.00	5.00	600
				Feb-16	20-Mar-16	22-Mar-16	2	22000.00	5.00	1100
				Mar-16	20-Apr-16	26-Apr-16	6	26920.00	5.00	1346
						TOTAL		323181.00		24424

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-III 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-III 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-46/2015-16	01,02	01,02	-
CT-37/2016-17	01	01,02,03,04,05	-
CT-132/2017-18	01	01	01
CT-149/2018-19	-	01,02,03,04,05	-

भाग-IV**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.),- 4, राज्य कर, रुड़की तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएः
टिप्पणी- शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री एस.के. सिंह	सहायक आयुक्त
(ii)	श्री कृष्ण कुमार	सहायक आयुक्त

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV